नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/8591 /भर्ती/2025 खण्डवा, दिनांक 01 /11/2025

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अन्तर्गत नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में प्रदर्शक/ट्यूटर के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। इस हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अंतिम दिनांक–17/11/2025 तक आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	विभाग का नाम	प्रदर्शक/ट्यूटर					योग
		UR	SC	ST	OBC	EWS	
1	एनाटॉमी	–	–	01	–	–	01
2	फिजियोलॉजी	01	01	–	–	–	02
3	बायोकेमिस्ट्री	01	–	–	01	–	02
4	पैथोलॉजी	01	01	01	–	–	03
	योग	03	02	02	01	–	08

नोटः– उपरोक्त विभागों में चयनित अभ्यर्थी को कार्य सुविधा की दृष्टि से किसी भी अन्यत्र विभागों में पदस्थापना की जा सकेगी, इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. **आवेदन शुल्क–** अभ्यर्थी आवेदन शुल्क निम्न खाते में UPI/Net Banking/Chalan/NEFT के माध्यम से जमा कर रसीद की पावती/Payment Screen shot की प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें यदि आवेदन शुल्क की पावती/Screen shot आवेदन के साथ संलग्न नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

Name - Government Medical College Khandwa Sihada Road, Khandwa
Bank - State Bank of India
Account No. – 37773559136
IFSC Code - SBIN0012159
Branch Name -Anand Nagar Khandwa

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु
रू. 1500/–	रू. 2500/–

2. उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं।
3. अभ्यर्थी अगर एक से अधिक विभागों में आवेदन करता है, तो उसे पृथक–पृथक आवेदन (शुल्क सहित) बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
4. पूर्व विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर के पद जिन्हें विज्ञप्ति उपरांत संस्था द्वारा साक्षात्कार नहीं लिया गया ऐसे समस्त पदों के साक्षात्कार की प्रकिया निरस्त मानी जावे।
5. यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।
6. **वेतनमान** – 7 वें वेतनमान अनुसार न्यूनतम –

कं.	पदनाम	न्यूनतम आयु	अधिवार्षिकी आयु	वेतनमान
1	प्रदर्शक/ट्यूटर	22 वर्ष	65 वर्ष	57,700

टीपः– 1–समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ते आदि देय होगें।
2– आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। (जिस आरक्षित श्रेणी में पद विज्ञापित नहीं है उन्हें आयु सीमा में छुट देय नहीं होगी किन्तु परीक्षा शुल्क में छुट की पात्रता होगी।)

7. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा व जाति आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्यः प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

<u>जाति प्रमाण–पत्रः–</u> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि म.प्र. शासन द्वारा जाति प्रमाण–पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण–पत्र डिजिटल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन–पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं महाविद्यालय इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। **अन्य पिछड़ा वर्ग किमिलेयर में न आने का प्रमाणिकरण भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछडा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में किमिलेयर में न आने संबंधी कंडिका नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।**

8. अर्हतायेः–

a. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा ''चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2025'' अधिसूचना क्रमांक F.No. N-P051(12)/18/2024-PGMEB-NMC, अधिसूचना जारी दिनांक 30 जून 2025 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित आर्हताएं।

b. म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।

c. उक्त अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।

d. **म.प्र के मूल निवासी** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थियों जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।

9. <u>निरर्हतायें–</u>

a. विकृत चित्त वाला होने पर।

b. दुष्चरित्र होने पर।

c. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध, दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

d. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लियेअनर्हकारी माना जायेगा।

e. विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो,जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

f. जिनकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके प चात हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है।

g. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

h. कदाचरण संबंधी–भर्ती चयन के दौरान/नियुक्ति पश्चात् म.प्र. शासन अनुसार किसी भी प्रकार का कदाचरण संज्ञान में आता है तो संबंधित की अभ्यर्थिता/नियुक्ति तत्काल विलोपित कर यथाशीघ्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

i. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

10. **स्वास्थ्य संबंधी**–नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिये परीवीक्षा अनुबंध पर की जावेगी।
12. शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत चिकित्सा शिक्षक, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये मूल नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों एवं समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
14. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
15. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सक हेतु मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
16. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी जो पालन न करने पर भू–राजस्व संहिता के तहत वसूली योग्य होगी।
17. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** दिनांक–**17/11/2025** सायं **05:30** बजे तक होगी। निर्धारित प्रारूप में आवेदन निम्न पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर स्वयं उपस्थित होकर आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

आवेदन हेतु पताः–नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, लव कुश नगर, मूंदी रोड खण्डवा (म.प्र), पिन कोड–450001

18. बंद लिफाफे पर निम्न विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करें।

विज्ञप्ति क. .... दिनांक ....
आवेदित पदनामः– .... विभाग का नामः–........................
प्रति,
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमारसिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लव कुश नगर, मुंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.) 450001.

प्रेषक,
नाम :–
पूर्ण पत्राचार पता :–
राज्यः– पिन कोड–
मो.नं:–
ई–मेल आईडीः–

19. <u>चयन प्रक्रियाः</u>– चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदो के संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोरेटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोरेटा अंको के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी
20. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल महाविद्यालय की वेबसाइट https://www.gmckhandwa.org पर प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने सटीक ई–मेल पता तथा मोबाईल नंबर का आवश्य उल्लेख करें तथा वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त मूल दस्तावेजों एवं एक सेट स्व–प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से लावें।
21. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

22. भर्ती को संस्था द्वारा आपनी आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि एवं पूर्ण भर्ती निरस्त करने का अधिकार होगा तथा भर्ती से संबंधित किसी भी न्यायालयीन स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तक सीमित होगा।

23. **इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश स्वतः लागू होगें तथा संलग्न प्रोराटा अनुसार चयन की प्रकिया की जावेगी।**

24. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय का संलग्न अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

01/11/25

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.,खण्डवा

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

आवेदन पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–1

प्रदर्शक / ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र (अंतिम तिथि–17/11/2025)

(प्रत्येक विषय हेतु पृथक–पृथक आवेदन करें।)

आवेदित विषयः– ....

अभ्यर्थि की श्रेणीः–UR ☐ OBC ☐ ST ☐ SC ☐ EWS ☐ (Tick ✓applicable)

नोटः– मध्यप्रदेश राज्य के मुल निवासी न होने की स्थिती में वर्ग अनारक्षित लिखे।

1. विज्ञापन कमांक / दिनांक..
2. आवेदक का नाम

   हिन्दी में..

   अंग्रेजी में..

   पिता / पति का नाम..

3. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का पंजीयन कमांक..
4. जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के आधार पर) (DD/MM/YYYY) ....
5. जन्म तिथि शब्दों में ....
6. जन्म स्थान, शहर / तहसील / जिला / राज्य ....

   ....

7. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हैं? हाँ ☐ नही ☐

   (यदि हां तो मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. वर्ग–ःअनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग

   (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्धारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

   नोटः– मध्यप्रदेश राज्य के मुल निवासी न होने की स्थिती में वर्ग अनारक्षित लिखे।

9. आवेदक का पता :–

   (अ) वर्तमान डाक का पता :– ....

   ....

   ....

   पिन कोड

   (ब) स्थायी पता :– ....

   ....

   ....

   पिन कोड

   (स) मोबाईल नम्बर :– ☐

   (स) ईमेल पता :– ☐

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते है तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें। ....

12. (1) क्या आप भारत के नागरिक है ? (1) ....

(2) यदि आप भारत के नागरिक नही है तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है ? ....

13. (अ) क्या आप विवाहित है ? ....

(ब) यदि हां तो क्या आपको एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं/पति हैं ? ....

14. जीवित संतानो की संख्या .... अंतिम जीवित संतान की जन्मतिथि ....

15. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त/निष्कासित किया गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित (दंडित) किया गया है, या आपके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें ....

16. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण–पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।

परीक्षा का नाम	संस्था/वि.वि.	वर्ष	विषय एवं प्रयास (Attempt) *Mention subject wise attempt	कुल प्राप्तांक / कुल पूर्णांक	कुल प्रतिशत
MBBS/MSc First Prof.					
MBBS/MSc Second Prof.					
MBBS/MSc Final Part I					
MBBS/MSc Final Part II					
MD/MS/ DNB/MCH/ DM/ /PhD					

17. अनुभव

क.	पद का नाम	कार्यालय/संस्था/नाम एवं पता	नियुक्ति		कुल शैक्षणिक अनुभव
			कब से	कब तक	
1	ट्यूटर/प्रदर्शक/सीनियर रेसीडेंट				
2	एन.एम.सी मान्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय चिकित्सालयों से प्राप्त अन्य अनुभव				

<u>सत्यापित प्रमाण पत्रो को उपरोक्त निर्देशो मे दिये हुये कमानुसार ही आवश्यक रूप से संलग्न करे। इसके अभाव में आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं।</u>

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

18.. रिसर्च पब्लिकेशन :— Details of **Research articles** published (If any):-

No.	Publication Title & Journal name	Type of Article*	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc./Assist. Prof/ PG	Author: $1^{st}/2^{nd}/3^{rd}$ /Corresponding	Name of Indexing Agency**	ISSN No.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

19. अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रमाण पत्रो की सूचीः—

1) 10^{th}, 12^{th} marksheet
2) 1st M.B.B.S. /M.Sc. Marksheet
3) 2^{nd} M.B.B.S. /M.Sc. Marksheet
4) 3^{rd} M.B.B.S. Final Part I/M.Sc. Marksheet
5) 3^{rd} M.B.B.S Final Part II/M.Sc. Marksheet
6) Internship completion certificate
7) M.B.B.S./ M.Sc. Degree Certificate
8) M.B.B.S./ M.Sc. Attempt Certificate
9) M.B.B.S. Registration Certificate
10) M.S./M.D./D.N.B/ PhD. Mark sheet Certificate
11) M.S./M.D./D.N.B/ PhD. Degree Certificate
12) M.S./M.D./D.N.B/ PhD. Attempt Certificate
13) M.S./M.D./D.N.B/ Registration Certificate
14) Adhar Card
15) PAN Card
16) Copies of Research Publications
17) ....
18) ....
19) ....

आवेदक हस्ताक्षर —..................................

पुरा नाम—..................................

पता..

....

दिनांक ....

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

परिशिष्ट–2

–: घोषणा :–

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ, कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई वह पूर्ण सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। मुझ पर मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संबंधित संस्था के सभी नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बन्धनकारक होंगे तथा मेरे चयन हो जाता है तो मेरे द्वारा बंधपत्र का पालन किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

....

दिनांक ....

स्थान ....

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

प्रदर्शक / ट्यूटर पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से) अधिकतम अंक 100

मेडिकल अभ्यर्थियों हेतु

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 40 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक– एम.बी.बी.एस. (**MBBS**) पाठ्यकम में प्राप्त कुल प्रतिशत का 40 प्रतिशत (**Cumulative percentage ×40/100) (maximum 40 marks)**उत्तीर्ण होने पर 40 अंक। किसी भी विषय में अतिरिक्त **attempt** होने पर प्रत्येक अतिरिक्त **attempt** के 02 अंक कम किये जायेंगे	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक– संबंधित प्री अथवा पैरा–क्लीनिकल विभाग / विषय मे स्नातकोत्तर डिग्री एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी के साथ **(MD/MS/DNB)** उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। प्रत्येक अतिरिक्त **attempt** के लिए 02 अंक कम होंगे।	शोध अनुभव– **PubMED Indexed Journal** में प्रकाशित शोध पत्र (प्रत्येक शोध पत्र के लिए 02 अंक) सत्यापन हेतु **PubMED.com** अथवा **PubMED central website** पर रिसर्च पेपर / शोध पत्र प्रदर्शित होने पर	कार्य अनुभव– मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में की गई सेवा हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के लिये 02 अंक। (चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेसीडेंट / ट्यूटर के रूप में की गई सेवा मान्य)	साक्षात्कार	
		अधिकतम–40 अंक	अधिकतम–20 अंक	अधिकतम–10 अंक	अधिकतम–10 अंक	अधिकतम –20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नॉन–मेडिकल अभ्यर्थियों हेतु

(एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एवं माइकोबायोलॉजी विभाग में मेडिकल अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में नॉन मेडिकल अभ्यर्थी से समय–समय पर प्रचलित एन.एम.सी. **T.E.Q** अनुसार पदों की पदपूर्ति हेतु)

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक	कुल 40 अंक.	कुल 10 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक– **B.Sc** अथवा समकक्ष यू.जी. पाठ्यकम में प्राप्त कुल प्रतिशत का 20 प्रतिशत (**Cumulative percentage ×20/100) (maximum 20 marks)** उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। किसी भी विषय में अतिरिक्त **attempt** होने पर प्रत्येक अतिरिक्त **attempt** के 02 अंक कम किये जायेंगे	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक– संबंधित प्री अथवा पैरा–क्लीनिकल विभाग / विषय मे मेडिकल एम.एस.सी के साथ पी. एच.डी. (**Medical M.Sc with PhD in concerned subject**) उत्तीर्ण होने पर 40 अंक। प्रत्येक अतिरिक्त **attempt** के लिए 02 अंक कम होंगे।	शोध अनुभव– **PubMED Indexed Journal** में प्रकाशित शोध पत्र (प्रत्येक शोध पत्र के लिए 02 अंक) सत्यापन हेतु **PubMED.com** अथवा **PubMED central website** पर रिसर्च पेपर / शोध पत्र प्रदर्शित होने पर	कार्य अनुभव– मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में की गई सेवा हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के लिये 02 अंक। (चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदर्शक के रूप में की गई सेवा मान्य)	साक्षात्कार	
		अधिकतम–20 अंक	अधिकतम–40 अंक	अधिकतम–10 अंक	अधिकतम–10 अंक	अधिकतम –20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8